



2026:AHC:29500

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- सी संख्या- 5188 सन् 2026

धनपत एवं 3 अन्य

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : अलाउद्दीन, फखरुद्दीन
प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता और प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्था की नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्था इस आदेश से असंतुष्ट हों, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका में मांगी गई मूल अनुतोष यह है कि प्रत्यर्था संख्या 2/ उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील नौगढ़ जिला सिद्धार्थ नगर को मामला संख्या 16426 सन् 2025 (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या सी 202517630116426) का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला निचली अदालत में लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निपटारा करते हुए प्रत्यर्था संख्या 2/ उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील नौगढ़, जिला सिद्धार्थ नगर को उपरोक्त मामले का शीघ्रतापूर्वक और विधि के अनुसार सख्ती से निर्णय करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए।

10 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"